को पेश हो।

27/8/24 धारा 10 पेश हुई। वकीलवादी द्वारा धारा 10 का अवलोकन किया गया। धारा लगाकर पत्रावली से प्रतिवादीगण की तलबी में जो कमी है वकीलवादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अवसर, अंतिम अवसर, अंतिम अवसर, न्यायहित में अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक तलबना सम्मन पेश नहीं हुआ। वादी का वाद CPC के नियम 0-9-R-5 व 0-9-R-2 व तहत खारिज किया जाता है। धारा प्रभाव लेकर नकल को बाद की जाकर दफ्तर दाखिल हो।